

FORM No. III

वाद पत्र

(विनियम 36)

कार्यवाही नं. मुकदमा नं.
 नाम
 पता

तारीख दिवस	दिवस या कार्यवाही का इतिहास/विवरण
	<p>12.06.2023</p> <p>वादीगण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। दर्ज रजिस्ट्रार हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 12.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। दिनांक को... 23/07/23... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>आज यह पत्रावली वादी द्वारा लाकर विद्वा उकरण जं. पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वादी ने जं. पत्र में अंकित किया है कि वादी उम्तर उकरण को आगे न चलाकर विद्वा करना चाहते हैं। वादी एवं वादी वकील के हस्ताक्षर आदेशिका है।</p>

संख्या व तारीख
 वादपत्र जो इस
 मुकदमा की मजलीस
 में जारी हुए

14/7/23

20/07/23

मुकदमा को बरताना
 जेली वादली
 रजिस्ट्रार जं. पत्र दिनांक
 23/07/23
 ममता शर्मा
 23/07/23

तारीख
सूचना

दृश्य या कार्यवाही मय इतिशियन्त जय

तादी डारा फरदुत जा० पत्र
बाबत विद्वा फकरण स्वीकार किया
जाता है। जा० पत्र शामिल पत्रावली
किया गया। अतः फकरण की
कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।
पत्रावली केवल शुमार होकर
रफिक्टर ले कम की जावे।
ताड पूर्ति दफतर दाखिल हो।


S D O